



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय / Headquarters
पंचदीप भवन, सी आई जी मार्ग, नई दिल्ली - 110 002
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi - 110 002
Telephone-011 23232373, E-mail: dir-pnd@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in

स. N-15011/1/2021-P &D

दिनांक : 28.03.2023

परिपत्र / Circular

विषय:- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1 उपधारा 3 के अंतर्गत में तमिलनाडु राज्य के आंशिक रूप से अधिसूचित 4 जिलें नामतः कांचीपुरम, तिरुपत्तूर, तिरुवन्नामलई, विलुप्परम एवं 1 गैर अधिसूचित जिले नामतः कल्लाकुरिची के सम्पूर्ण क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधी। / Notification under sub section 3 of Section 1 of ESI Act in the entire area of 4 partially notified districts namely Kanchipuram, Tirupattur, Tiruvannamalai and Viluppuram and 1 Non-notified district namely Kallakurichi in the State of Tamil Nadu.

उपरोक्त विषय पर मंत्रालय द्वारा भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग-II-खण्ड-3-उप-खण्ड(ii) में दिनांक 24.03.2023 को प्रकाशित अधिसूचना स का.आ. 1427(अ) दिनांक 24 मार्च, 2023 की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है। (गजट.आई.डी.स- CG-DL-E-25032023-244684)

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य के जिले नामतः कांचीपुरम, तिरुपत्तूर, तिरुवन्नामलई, विलुप्परम जिलों (पहले से अधिसूचित किये गये क्षेत्रों के अतिरिक्त) एवं गैर अधिसूचित जिले नामतः कल्लाकुरिची के सम्पूर्ण क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का कार्यान्वयन दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी होगा।

Enclosed herewith is a copy of the notification no. S.O. 1427(E) dated 24 March, 2023 published in Gazette of India (Extraordinary), Part-II, Section-3, Sub-section (ii) on 24.03.2023 by Ministry of Labour & Employment for information. (Gazette ID No- CG-DL-E-25032023-244684)

Implementation of ESI Act, 1948 under Section 1(3) in the entire area of **Kanchipuram, Tirupattur, Tiruvannamalai and Viluppuram** (in addition to the already notified areas in the districts) and **Kallakurichi** districts in the State of Meghalaya shall be effective from 01.04.2023.

अधिसूचित / गैर अधिसूचित जिलों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है The Current Status of Notified / Non-Notified districts is as under:

संपूर्ण क्षेत्र में अधिसूचित जिलों की संख्या / Fully Notified Districts	491
आंशिक रूप से क्षेत्र में अधिसूचित जिलों की संख्या / Partially Notified Districts	119
गैर अधिसूचित जिले / Non Notified Districts	134
कुल / Total	744

संलग्नक - यथोपरि

AKHILESH KUMAR

ASSISTANT DIRECTOR(P&D)

सेवा में,

1. क्षेत्रीय निदेशक, तमिलनाडु को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधन, मुख्यालय से अनुरोध है कि इस नोट को वेबसाइट पर अपलोड करें ।